प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 18.11.2024

- **थाना रूरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01.11.2024 को शराब की दुकान पर हुई लूट की घटना के अनावरण के क्रम में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।**
- **थाना रूरा पुलिस की कार्यवाही से लूट की घटना में शामिल 01 नफर शातिर लुटेरे को 5400/- रुपये व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ किया गया गिरफ्तार ।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 02.11.2024 को वादी श्री अविनाश पुत्र स्व0 श्यामसुन्दर निवासी मुरलीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.11.2024 उनकी शराब की दुकान पर लूट हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 371/2024 धारा 309(6) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त दिलवर उर्फ सनुज पुत्र श्याम सिंह उर्फ पप्पू कंजड उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम रनिया डेरा (हारामऊ) थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.11.2024 ग्राम हसनापुर के सामने बम्बा की पटरी से समय 22.03 बजे रात्रि गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 371/2024 धारा 309(6) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित लूट के 5400/-रूपये व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. दिलवर उर्फ सनुज पुत्र श्याम सिंह उर्फ पप्पू कंजड उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम रनिया डेरा (हारामऊ) थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त दिलवर उर्फ सनुज उपरोक्त ने पूछताछ में बताया में कि साहब दिपावली के एक दिन बाद हमारे गाँव का छोटू उर्फ संजीव पुत्र सन्तोष कंजड मुझे लालच देकर अपने साथ लेकर आया था। मैं दिनांक 01.11.2024 शाम करीब 08.00 बजे मेरे ही गाँव के छोटे पुत्र संतोष जो मेरा साथी है तथा अन्य साथी ललिया पुत्र राजकपूर व सूरज पुत्र सन्नू कंजड निवासीगण ग्राम पिलखनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ने थाना रूरा क्षेत्र के एक शराब के ठेके से लूट की थी जिसमें हम लोगों को लगभग 70,000 रुपये प्राप्त हुए थे। लूट के रुपयों में से हम लोगों ने कुछ खर्च कर लिये थे तथा कुछ रुपये मेरे पास थे। लूट में हम लोगों को एक मोबाइल भी मिला था जिसे स्विच ऑफ करके ललिया ने अपने पास रख लिया था। लूट की घटना के बाद सूरज तथा ललिया एक मोटरसाइकिल पर थे

तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर मैं व छोटू थे। छोटू ने रास्ते में गुल्लक से पैसे निकालकर गुल्लक को कहीं फेंक दिया था। घटना कारित करने के बाद हम लोग ऐसे रास्ते से आये जिस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे न हों।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 371/2024 धारा 309(6)/ 317(2) बी0एन0एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रुरा कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. लूट के 5400/- रूपये
2. एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह
2. उ0नि0 श्री अतेन्द्र कुमार
3. का0 71 जितेन्द्र